

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
<p>25.02.2020</p>	<p>न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, धनबाद आर्बिट्रेटर केश नं०-03/2019</p> <p>सुभाष साव                      बनाम                      भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य</p> <p>वावेदार के आवेदन के आलोक में निरसा अंचल अंतर्गत मौजा-मेडा, मौज सं०-251, खाता नं०-73, प्लॉट सं०-1240 रकबा-0.2017 ए० एवं 1242, रकबा-0.2347 ए०, भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ-02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित गुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर गद्यस्थम विधि के तहत उचित गुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।</p> <p>आवेदक के आवेदन पत्र एवं अधिवक्ता के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि वर्णित भूखण्ड मुख्य राज्क पर अवस्थित व्यवसायिक भूखण्ड है जिसपर हमलों का होटल एवं अन्य व्यवसाय चलता था। इसपर बिजली का कनेक्शन भी व्यवसायिक कनेक्शन था। आवेदक द्वारा पुर्नमूल्यांकन कर उचित मुख्य राज्क पर अवस्थित व्यवसायिक भूखण्ड के दर से गुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही गुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।</p> <p>अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन०एच०ए०आई० को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जाँच करते हुए भूमि का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो गुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रोत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>(Signature)</i> अपर समाहर्ता -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद।</p> <p><i>(Signature)</i> अपर समाहर्ता -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद।</p>	